उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग पर दिनांक 2-9-1982 को 10-30 बजे पूर्वान्ह में हुई उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की वर्ष-1982 की चौथी बैठक का कार्यवृत्त।

निम्नलिखित उपस्थित थे:-

1-	श्री बी0जे0 खोदावजी		अध्यक्ष
2-	श्री मीर मजहर अली	सदस्य, विधान सभा	सदस्य
3-	श्रीमती दीपा कौल		सदस्या
4-	श्री करन सिंह		सदस्य
5-	श्री आदित्य कुमार रस्तोगी	सचिव, आवास एवं नगर विकास विभाग	सदस्य
6-	श्री जे0 पी0 दुबे	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य
7-	श्री मधुकर गुप्त	प्रशासक, नगर महापालिका	सदस्य
8-	श्री त्रिवेणी सहाय	संयुक्त सचिव, वित्त विभाग (सचिव, वित्त के प्रतिनिधि)	सदस्य
9-	श्री आर0 एस0 माथुर	आवास आयुक्त	सदस्य

बैठक के प्रारम्भ में विचार विमर्श के उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

पहले इस बात पर विचार किया गया कि चूंकि विचारार्थ मदों की संख्या काफी तथा समय लेने वाली है अत: यह निर्णय लिया गया कि मदों पर क्रमानुसार विचार न किया जाय तथा जो मद निर्माण एवं भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित है तथा अन्य महत्वपूर्ण जो मद है उन्हीं पर इस बैठक में विचार कर निर्णय लेने हेतु ले लिया जाय। शेष मद जो बच जावे उनके बारे में अगली बैठक में विचार कर लिया जाय जो अतिशीघ्र बुलाई जायेगी।

यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में परिषद की प्रत्येक बैठक में अनिवार्य रूप से 20 सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में एक मद अलहायदा से रखा जाय जो कार्यवृत्त की पुष्टि तथा अनुपालन आख्या के बाद तीसरे नम्बर पर हो।

क्रम सं0	विषय	संकल्प संख्या	निर्णय
1-	दिनांक-15-5-1982 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	IV (1)/82	परिषद की दिनांक-15-5-1982 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि निम्न संशोधनों के साथ की गयी:- 1:- मद संख्या-2 के प्रस्तर, 6 के अंतिम पंक्ति में ''प्रस्तुत'' के स्थान पर शब्द ''विस्तृत'' लिख दिया जाय। 2- मद संख्या-2 के प्रस्तर-7 के अंतिम भाग में ''पूर्ण'' शब्द के स्थान पर ''पुन:'' शब्द लिख दिया जाय।

-----2

			3- मद सं0-2 के प्रस्तर-14 की सातवीं पंक्ति में ''स्वं'' शब्द निकाल दिया जाय । 4- मद सं0-2 के प्रस्तर-18 की चौथी पंक्ति में ''परिश्रम'' के स्थान पर ''परीक्षण'' शब्द लिख दिया जाय। 5- मद सं0-2 के प्रस्तर-25 की 9 वीं पंक्ति में 'परिश्रमित' शब्द के स्थान पर ''परिलक्षित' शब्द लिख दिया जाय । 6- मद सं0-6 की पाँचवी पंक्ति में ''वर्तमान परिषद् का माप'' के स्थान पर ''परिषद् के वर्तमान मापदण्ड'' शब्दों को लिख दिया जाय । 7- मद सं0-19 के द्वितीय प्रस्तर को निकाल कर मद सं0-20 में द्वितीय प्रस्तर के रूप में रख दिया जाय ।
2-	परिषद् की बैठक दिनांक 15-5-1982 के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या	IV /(2)/82	परिषद् द्वारा दिनांक 15-5-1982 को हुयी बैठक में लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित आख्या की समीक्षा की गयी और निम्नलिखित निर्णय लिया गया :- 1- वाहनों के क्रय करने के संदर्भ में आवास सचिव महोदय ने यह बताया कि वह अपने स्तर पर शीघ्र ही एक बैठक करेंगे जिसमें सार्वजनिक निर्माण विभाग के अनरूप नये वाहनों को क्रय करने की व्यवस्था पर निर्णय लिया जायेगा । 2- सहायक निदेशक (प्रचार) के रिक्त पद को भरने के लिये गठित चयनसमिति की बैठक शीघ्रताशीघ्र आयोजित करने के लिये निर्णय लिया गया। आवास आयुक्त महोदय ने यह आश्वासन दिया कि परिषद् की अगली बैठक के पूर्व(15-9-82को होने वाली बैठक को छोड़ कर) चयन की कार्यवाही सम्पन्न कर ली जायेगी। 3- कानपुर में विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के रिक्त पद को भरने के लिये आवास आयुक्त महोदय शासन के नियुक्ति सचिव महोदय से शीघ्र ही वार्ता करेंगे और आगरा में विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के स्थान पर अतिशीघ्र कोई वैकल्पिक व्यवस्था कराने की चेष्ठा करेंगे ताकि आगरा क्षेत्र में भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही में जो गतिरोध उत्पन्न हो गया है वह समाप्त हो जाये । 4- जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में आपसी वार्ता के आधार पर समिति गठित कर भूमि क्रय करने के सम्बन्ध में शासन में जो पत्राचार हो रहा है उसके क्रम में शासन का राजस्व विभाग का ध्यान पुनः आकर्षित कराया जाय क्योंकि आपसी बातचीत करके भूमि क्रय करने के विषय में शासनादेश अभी भी प्रचलित है लेकिन केवल समिति को गठित करने के विषय में शासन को निर्णय लेना है।

—— 3

1	2	3	4
			5- मुरादाबाद व अलीगढ़ में पुलिस कर्मियों द्वारा परिषद् के आवास गृहों पर किये गये बहुत लम्बे अरसे से गैर कानूनी तथा अनाधिकृत अतिक्रमण के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी के स्तर पर प्रस्तावित बैठक आयोजित करायी जाय ताकि इस समस्या का निराकरण शीघ्रातिशीघ्र हो।
			6- इन्दिरा नगर, लखनऊ में 80 मध्यम आय वर्ग एम0आई0/75 के भवनों के प्राविधिक परीक्षण के संबंध में शासन द्वारा लिये गये निर्णयानुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन एक मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के स्तर पर लम्बित कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न करायी जाय ।
			- यह भी निर्णय लिया गया कि मुख्य अभियन्ता आवास एवं विकास परिषद् जो सार्वजनिक निर्माण विभाग का मुख्य अभियन्ता नामित हो से सम्पर्क कर उन्हे सम्बन्धित अभिलेखादि दिखा लें और उनका अभिमत प्राप्त कर परिषद् को अगली बैठक जो 15-9-1982 के बाद होगी में प्रस्तुत करें।
			7- परिषद् की सभी निर्मित कालोनीज़ को नगरीय स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की जानकारी परिषद् को करायी गयी। परिषद् ने यह निर्णय लिया कि कालोनीज़ के हस्तान्तरण का कार्य शासन स्तर पर बैठकें बुलाकर शीघ्र सम्पन्न कराया जाय क्योंकि शासनादेश निर्गत हो जाने के बाद भी विशेष प्रगति हुई है, ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ ।
			8- परिषद् के लेखों के समायोजन तथा मिलान एवं लेखा मैनुअल तैयार करने के संबंध में जो अद्यावधि प्रगति हुई की जानकारी परिषद् को करायी गयी। परिषद ने यह निर्णय लिया कि समस्त लम्बित कार्य विलम्बतः दिसम्बर 31, 1982 तक पूर्ण कराया जाय और साथ ही सम्प्रेक्षित पक्का चिट्ठा (Audited balance sheet) भी बनाने का कार्य भी पूरा कराया जाय ।
			9- आगरा की कमला नगर आवासीय योजना में ग्राम-लश्करपुर में भूमि के संबंध में उत्पन्न विवाद को समाप्त करने के लिये माननीय मंत्रीजी, आवास एवं नगर विकास के स्तर पर प्रस्तावित बैठक शीघ्रातिशीघ्र आयोजित करायी जाय।
			10- आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम-1965 में प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में आवास सचिव महोदय ने अपने स्तर पर शीघ्र एक बैठक करने का आश्वासन दिया ।

---4

1	2	3	4
			11- दिलकुशा में स्थित कैन्टोनमेंट बोर्ड लखनऊ के की भूमि प्राप्त करने के संबंध में यह बात परिषद् की जानकारी में लाई कि वनविभाग ने उक्त सारी भूमि पर पेड़-पौधे आदि लगा दिये गये हैं। अतः ऐसी परिस्थिति में प्रस्तगत भूमि पर कोई आवासीय योजना चलाना संभव नहीं है और प्रस्तावित योजना समाप्त की जाय ऐसा निर्णय परिषद् ने लिया।
			12- पिथौरागढ़ नगर के लिये चयनितस्थल का पूर्ण विवरण परिषद की अगली बैठक में (जो 15-9-82 के बाद होगी) रखने का निर्णय लिया गया तथा मंसूरी नगर के लिये भूमि चयन की कार्यवाही यथाशीघ्र पूरी कराये जाने का भी निर्णय लिया गया ।
			13- रानीखेत के लिये चयनित स्थल से संबंधित धारा-28 का प्रस्ताव परिषद् के समक्ष अविलम्ब रखा जाय जो 15-9-82 के पश्चात् होने वाली बैठक में प्रस्तुत हो ।
			14- गोपेश्वर जिला चमोली में स्थल चयन की कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न कराकर उपयुक्त प्रस्ताव परिषद् की अगली बैठक जो 15-9-1982 के बाद होगी मे प्रस्तुत किया जाय ।
			15- शाहजहाँपुर, हरिद्वार तथा काशीपुर नगरों में परिषद् की ओर योजनाएं चलाने के लिये भूमि चयन का कार्य तत्काल पूरा कराया जाय और नगरवार प्रस्ताव, परिषद् की अगली बैठक जो 15-9-1982 के बाद होगी में रखा जाय ।
			16- प्रशासनिक व्यय में कटौती किये जाने के संबंध में अन्य प्रदेशों के आवास विकास परिषदों से जो सूचनायें मंगायी गयी हैं उसे शीघ्र प्राप्त करने का भरपूर प्रयास किया जाय तथा सम्बद्ध आख्या परिषद् के समक्ष अगली बैठक जो 15-9-1982 के बाद होगी में प्रस्तुत की जाय
			17- परिषद् की भवन निर्माण विनियमावली के संबंध में गठित उप समिति की बैठक शीघ्र कराकर उप समिति की आख्या तथा संस्तुतियाँ परिषद् की अगली बैठक जो 15-9-1982 के बाद होगी में रखी जाय ।
			18- बाराबंकी भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-1 की भूमि चयन तथा उसे बाद में परित्याग करने के सम्बन्ध में जाँच आख्या परिषद् की अगली बैठक जो 15-9-1982 होगी में प्रस्तुत की जाय ।
			19- शामली भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना शामली, के लिये अनुपयुक्त स्थल चयन करने के सम्बन्ध में जाँच आख्या परिषद् की अगली बैठक जो 15-9-1982 के बाद होगी में रखी जाय ।

——5

1	2	3	4
			20- नैनीताल की विभिन्न आवासीय योजनाओं के संदर्भ में शासन के पर्वतीय विकास विभाग व आयुक्त, कुमायुं मण्डल, नैनीताल का विचार बिना और विलम्ब किये प्राप्त किया जाय और परिषद् के सम्मुख रख दिया जाय।
			21- मोदीनगर में हापुड़-रोड पर भूमि अधिग्रहण की संभावना की जॉच पूरी करके एक निश्चित प्रस्ताव-परिषद के समक्ष अगली बैठक जो 15-9-1982 के बाद होगी में रखा जाय।
			22- निर्माण कार्यों की समीक्षा करने के लिये कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उपयोग में लाया गया जिस विस्तृत प्रोफार्मा को अपनाने का निर्णय दिनांक 30-3-1982 की परिषद् की बैठक में परिषद् ने लिया गया था उस प्रोफार्मा पर विस्तृत विवरण आख्या सहित परिषद की अगली बैठक जो 15-9-1982 के बाद होगी में प्रस्तुत किया जाय ।
			23- लखनऊ महानगर के किसी दुर्बल आय वर्ग/अल्प आय वर्ग योजना में 25 भवनों का आवंटन क्त निर्माण कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व ही कियेजाने के सन्दर्भ में परिषद् ने नोट किया कि उनके निर्णय का कार्यान्वयन अभी तक नहीं किया जा सका है और बिना और विलम्ब किये इसका अनुपालन किया जाये आवास सचिव महोदय तथा प्रशासक महोदय नगर महापालिका, लखनऊ ने स्पष्ट बताया कि कानपुर विकास प्राधिकरण एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण में सभी नव निर्मित भवनों का आवंटन निर्माण पूर्ण होने के पूर्व किया जाना है, अत: कोई कारण नहीं कि आवास एवं विकास परिषद इस प्रक्रिया को भविष्य में क्यों न अपनाये ।
			24- दुर्बल आय वर्ग के भवनों में सीमेंट की छत के स्थान पर जेक आर्च की छत डालने के बारे मे लिये गये परिषद् के पूर्व निर्णय का कार्यान्वियन तत्परता से किया जाय ।
			25-गोरखपुर नगर में स्वचालित उच्च आय वर्ग आवासीय योजना के अन्तर्गत भवनों को बनाने हेतु प्रस्ताव परिषद् की अगली बैठक जो दिनांक 15-9-1982 के बाद होगी में रख दिया जाय ।
			26-चौक क्षेत्र लखनऊ में महात्मागांधी स्मारक हास्पिटल से जो सड़क लखनऊ सिटी स्टेशन को जाती है वहाँ सिल्वर-जुबली नर्सिंग संस्थान के पीछे तथा पीछे के आसपास की भूमि के बारे में स्थानीय निरीक्षण इस उद्देश्य से कर लिया जाय कि क्या परिषद कोकोई योजना वहाँ चलाई जा सकती है अथवा नहीं।
			27-लखनऊ में माननीय विधायकों के लिये स्वचालित आवासीय योजना के अन्तर्गत आवास गृहों के निर्माण के संबंध में शासन का आदेश शीघ्र ही प्राप्त करने का प्रयास किया जाय ।

——6

1	2	3	4
			28- सुल्तानपुर नगर में आवासीय योजना चलाने के लिये चयनित थल के संबंधित धारा-28 का प्रस्ताव परिषद् में 15-9-1982 के बाद होने वाली जो बैठक होगी में रख दिया जाय ।
			29- बौरी रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, लखमपुरखोरी में समाविष्ट कैथेलिक डायसिस की भूमि के संबंध में प्रस्तावित वार्ता शीघ्र सम्पन्न कराके वस्तुस्थिति से परिषद् को अवगत कराया जाय ।
			30- देवपुर पारा भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना लखनऊ को चलाने के संबंध में सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी । यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त योजना के समीप कोई नगर महापालिका की भूमि है, जहाँ आवासीय योजना चलायी जा सकती है उसे भी देख लिया जाय तथा राजाजीपुरम कालोनी को जनसाधारण में अधिक लोकप्रिय बनाने के संबंध में राजाजी-पुरम अपरोच रोड योजना बनायी जाय और इस योजना को परिषद् की बैठक में जो बैठक जो 15-9-1982 के बाद होगी में रख दिया जाय ।
			31- वर्ष 1974-75 के बाद के परिषद् के विभिन्न वर्षों का बजट और पक्का चिट्ठा (balance sheet) जो विधान मण्डल के दोनों सदनों के पटल पर अभी तक नहीं रखा जा सका है, उसे शीघ्र ही रखवाने की व्यवस्था की जाय ।
			32- वर्ष 1982-83 तथा आने वाले वर्षों के आय-व्ययकों के संदर्भ में पिछली बैठक में लिये गये के अनुसार प्रत्येक त्रैमास में होने वाले आय-व्यय के आंकड़े और मोटे मदवार व्यय की स्थिति परिषद् की अगली बैठक जो 15-9-1982 को होगी में रख दिया जाय ।
			33- सिविल लाइन्स भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना कानपुर की भूमि के संदर्भ में परिषद् की वर्तमान वर्ष की द्वितीय बैठक (दिनांक 30-3-1982) में लिये गये निर्णयानुसार अग्रेतर कार्यवाही शीघ्र ही सम्पन्न की जाय ।
			34- इन्दिरा नगर योजना लखनऊ के सेक्टर-5 व 6 के बीच ग्रीन बर्ज में कुछ निर्माण कर दिये जाने के कारण ग्रीन बर्ज में जो कमी आयी है उसको अन्य क्षेत्र से पूर्ति किये जाने की कार्यवाही की जाय और ग्रीन बर्ज में पूरे क्षेत्र को पेड़ पौधे से आच्छादित कर दिया जाय। यह कार्यवाही इस वर्षा ऋतु में यथा सम्भव सम्पन्न की जाय ।
			35- बाँदा भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना बांदा में समाविष्ट खसरा नं० 972 जो नजूल संपत्ति है कि बारे में बताया गया कि उसे पर डाल सिंचाई खण्ड बाँदा ने पहले से ही निर्माण कर लिया है। थल से इसकी जाँच करा ली जाय और यदि यह सही है तो इस भूखण्ड को योजना से अलग कर दिया जाय ।

—7/

1	2		
			36- शाहाबाद भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना शाहाबाद जनपद हरदोई मे से शाहाबाद तहसील से सम्बन्धित कुछ भवन के निर्माण हेतु भूमि की जो मांग जिलाधिकारी हरदोई द्वारा की गयी है उसकेबारे में जिलाधिकारी से सम्पर्क कर आवश्यकतानुसार भूमि तहसील प्रयोजन हेतु देने के लिये प्रस्ताव परिषद की बैठक जो 15-9-1982 के बाद होगी में रख दिया जाय । 37- परिषद की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पहले से हुये निर्माणों के साथ भूमि छोड़ने हेतु जो मार्ग-दर्शन निर्देश तैयार किये गये है। उस पर मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक का मन्तव्य मार्ग दर्शन निर्देशों में क्या संशोधन किया जाय प्राप्त कर परिषद की अगली बैठक जो 15-9-1982 के बाद होगी में प्रस्तुत किया जाय । 38- इन्दिरा नगर योजना के अन्तर्गत निर्मित 19 पक्के चबूतरों के आवंटन के सम्बन्ध में विचार विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से परिषद् ने यह निर्णय लिया कि 50 चबूतरे सब्जी बेचने वाले व्यक्तियों के लिये आरक्षित कर दिये जायें। उनमें से पहले विस्थापित हुये सब्जी विक्रेताओं को निर्धारित मूल्यांकन पर चबूतरे बेच दिये जायें। शेष चबूतरे सब्जी विक्रेताओं के अतिरिक्त जो वास्तव में विस्थापित व्यक्ति है उनको लाटरी द्वारा आवंटित कर बेच दिये जायें। इस प्रकार की कार्यवाही के बाद यदि कोई चबूतरे बचते है तो उन्हें नीलामी द्वारा आवंटित कर बेच दिये जायं ।
3-	श्रीमती उर्मिला अस्थाना की बयाना धनराशि की वापसी हेतु।	IV/(3)/82	परिषद की अगली बैठक जो 15-9-1982 को होगी में विचार हेतु स्थगित ।
4-	देहली रोड योजना हरिद्वार में श्री राम यश सिंह विधायक को प्रदिष्ट भूखण्ड सं0-406 का भूखण्ड संख्या 385 से परिवर्तन।	IV/(4)/82	परिषद की अगली बैठक जो 15-9-1982 को होगी में विचार हेतु स्थगित ।
5-	श्रीमती निर्मला पाण्डे को भवन प्रदेशन के संबंध में ।	IV/(5)/82	परिषद की अगली बैठक जो 15-9-1982 को होगी में विचार हेतु स्थगित ।
6-	आंतरिक सम्परीक्षा अनुभाग का विस्तार ।	IV/(6)/82	परिषद की अगली बैठक जो 15-9-1982 को होगी में विचार हेतु स्थगित ।
7-	हरपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, बलिया।	IV/(7)/82	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से हरपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, बलिया के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी ।
8-	दोहरीघाट रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना आजमगढ़ ।	IV/(8)/82	दोहरीघाट रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, आजमगढ के संबंध में परिषद द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि सचिव आवास एवं नगर विकास अपने स्तर पर शीघ्र एक बैठक बुलायेंगे जिसमें जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ को आहूत किया जायेगा और इस मामले में जो बैठक में निष्कर्ष निकलेगा वह परिषद के समक्ष अन्तिम निर्णय लेने हेतु रख दिया जायेगा ।
9-	''बेतिया हाता'' (पूर्वी) (भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना गोरखपुर'' (क्षेत्रफल 16 एकड़ अनुमानित लागत रुपये 24.82 लाख)	IV/(9)/82	परिषद ने विचार विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की ।

10- आवास परिषद की इन्दिरा नगर विस्तार योजना लखनऊ में समाविष्ट अनुपनगर सहकारी गृह निर्माण समिति की भूमि अर्जन से मुक्त करने के संबंध में।	IV/(10)/82	परिषद की अगली बैठक जो 15-9-82 को होगी में विचारार्थ हेतु स्थगित।
11- बड़ौत भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, बड़ौत (क्षेत्रफल-67 एकड़ अनुमानित लागत-116.88 लाख।	IV/(11)/82	परिषद द्वारा विमर्श केउपरान्त सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी। यह निर्णय भी लिया गया कि धर्मार्थ अस्पताल हेतु परिषद द्वारा अर्जित की गयी भूमि में से 80 फीट चौड़ी सड़क हेतु भूमि ले ली जाय और उतनी ही भूमि यदि धर्मार्थ अस्पताल के पदाधिकारी चाहे तो उन्हे परिषद द्वारा निर्धारित मूल्य पर इस शर्त के साथ दे दी जाय कि सारी भूमि अस्पताल के निर्माण हेतु ही प्रयोग में लायी जायेगी। यह निर्णय भी लिया गया कि धर्मार्थ अस्पताल की उक्त सड़क के निर्माण हेतु जितनी भूमि ली जा रही है उसे छोड़कर शेष सारी भूमि परिषद के ले-आउट में समायोजित करते हुये अवमुक्त कर दी जाय।
12- हडको द्वारा वित्त पोषित लो-कास्ट हाउसिंग कन्सट्रेशन प्रोजेक्ट कम्पो० हाउसिंग स्कीम इन्दिरा नगर एक्सटेन्शन लखनऊ(स्कीम नं०-2067 सी०)	IV/(12)/82	परिषद ने विचार विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया।
13- उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद सहायक अभियन्ता सेवा विनियम-1973 को सहायक अभियन्ता(विद्युत/यांत्रिक)के लिये भी लागू करने के सम्बन्ध में।	IV/(13)/82	परिषद की अगली बैठक जो 15-9-1982 को होगी में विचार हेतु स्थगित।
14- हापुड़-गाजियाबाद मार्ग पर आवासीय योजना सं०-1, पिलखुवा जिला-गाजियाबाद।	IV/(14)/82	हापुड़-गाजियाबाद मार्ग पर आवासीय योजना संख्या-1 पिलखुवा के सम्बन्ध में गठित उपसमितिकी बैठक दिनांक 16-6-82 के कार्यवृत्त के साथ नियोजन समिति के लिये जो टिप्पणी तैयार की गई तथा नियोजन समिति ने जोआख्या परिषद के निर्णयार्थ तैयार की प्रतियाँ परिषद की बैठक जो 15-9-1982 को होगी में रख दी जाय।
15- पटेलनगर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना-गोरखपुर (क्षेत्रफल-400एकड़ अनुमानित लागत रु0 266 लाख)	IV/(15)/82	परिषद द्वारा विचार विमर्श के पश्चात सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी।
16- जोधाबाई मेमोरियल भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, आगरा।	IV(16)/82	परिषद ने विचार विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया।
17- खासपुरा भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, आगरा।	IV/(17)/82	परिषद ने विचार विमर्श केउपरान्त सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की।
18- उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद अवेक्षक संगणक तथा ड्राफ्टसमेन सेवा विनियम-1977 में संशोधन।	IV/(18)/82	परिषद की दिनांक 15-9-1982 को होने वाली बैठक में चिार हेतु स्थगित।

—9

19- श्री उमाकान्त को प्रदिष्ट भवन संख्या-68 माल स्वेच्छ मूल्यांकन के सम्बन्ध में ।	IV /(19)/82	परिषद की दिनांक 15-9-1982 को होने वाली अगली बैठक में विचार हेतु स्थगित ।
20- महोबाखारी मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-1 महोबा (क्षेत्रफल-38 एकड़ लागत रु0 53•54 लाख)	IV/(20)/82	परिषद द्वारा विचार विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी । यह निर्णय भी लिया गया कि महोबा में प्रस्तावित योजना की भूमि का कब्जा तभी लिया जाय जब कि वास्तविक माँग का आंकलन पंजीकरण खोल कर लिया जायेगा ।
21- आवास परिषद में सीधी भर्ती से नियुक्त किये जाने वाले सहायक लेखाकारों के सम्बन्ध में ''आवास विकास परिषद लिपिकीय सेवा विनियम-1980 '' के नियम-14 का शिथिलीकरण ।	IV/(21)/82	परिषद की अगली बैठक जो 15-9-1982 को होगी में विचार हेतु स्थगित ।
22- माटिनपुरावा भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, लखनऊ (क्षेत्रफल-157 एकड़ अनुमानित लागत रु0 688•36 लाख)	IV/(22)/82	परिषद द्वारा विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी । यह निर्णय भी लिया गया कि शासन की स्वीकृत इस योजना के सम्बन्ध में उच्च प्राथमिकता पर प्राप्त कर धारा 7/17 के अन्तर्गत विज्ञप्तियाँ प्रकाशित करायी जायें और इस भूमि का कब्जा प्रकाशन के बाद तुरन्त लिया जाय जिससे भूमि पर अतिक्रमण न हो।
23- नैनी भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, इलाहाबाद।	IV/(23)/82	परिषद ने इस प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की ।
24- गुलेश बहादुर नगर विस्तार भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, इलाहाबाद ।	IV /(24)/82	परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया ।
25-वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन	IV /(25)/82	परिषद की अगली बैठक जो 15-9-1982 को होगी, में विचार हेतु स्थगित ।
26-लखनऊ में स्वीकृत परिकल्पना खण्ड को मेरठ में स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में ।	IV/(26)/82	परिषद की अगली बैठक जो 15-9-1982 को होगी में विचार हेतु स्थगित ।
27-श्री बी0एम0एस0बिष्ट को परिवर्तन शुल्क से छूट दिये जाने के सम्बन्ध में ।	IV /(27)/82	परिषद की अगली बैठक जो 15-9-1982 को होगी में विचार हेतु स्थगित ।
28- विशेष परिस्थितियों में स्व0 श्री बी0के0भारतीय लेखाधिकारी की विधवा तथा श्री के0डी0मिश्र, निजी सचिव को भवन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में ।	IV/(28)/82	परिषद की अगली बैठक जो 15-9-1982 को होगी में विचार हेतु स्थगित ।
29-अध्यक्ष, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद के प्रयोग में लायी जा रही स्टाफ कार के रख-रखाव पर निर्धारित सीमा से अधिक व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	IV/(29)/82	परिषद की अगली बैठक जो 15-9-1982 को होगी में विचार हेतु स्थगित ।
30-इलाहाबाद में श्रीमती माजिदा बेगम को भवन प्रदेशन के संबंध में परिषद की इलाहाबाद स्थित योजना में दुर्बल आय वर्ग के भवन के सम्बन्ध में ।	IV/(30)/82	परिषद की अगली बैठक जो 15-9-1982 को होगी में विचार हेतु स्थगित ।

—10

2	3	4
- "पटेल नगर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1 उरई" (क्षेत्रफल-32.00 एकड़ अनुमानित लागत रु0 40.490 लाख)	IV/(31)/82	परिषद् द्वारा इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
2- परिषद् में कार्य प्रभारित कर्मचारियों की सेवाओं के नियमितिकरण के संबंध में ।	IV/(32)/82	परिषद् की अगली बैठक जो 15-9-82 को होगी में विचार हेतु स्थगित ।
3- पीलीभीत वाईपास भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना (योजना सं0-7) बरेली की धारा-28 हेतु प्रस्ताव व प्राक्कलन ।	IV/(33)/82	परिषद् ने विचार विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया ।
4- परिषद् का रिवाल्विंग फण्ड	IV/(34)/82	परिषद् की अगली बैठक जो 15-9-82 को होगी में विचार हेतु स्थगित ।
5- उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् के अधिकारियों/कर्मचारियों को भवन निर्माण अग्रिम दिये जाने के सम्बन्ध में ।	IV/(35)/82	परिषद् की अगली बैठक जो 15-9-82 को होगी में विचार हेतु स्थगित ।
6- विनियम-46 के अन्तर्गत अन्तरण अनुमन्य किये जाने के लिये निकट के खून के संबंधियों की परिभाषा ।	IV/(36)/82	परिषद् द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस संशोधन के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी कि अन्तरी के पुत्र या पुत्र तथा अन्तरी की पुत्री के पत्र के साथ दोनों में पुत्री भी जोड़ दिया जाय ।
37- इज्जतनगर विस्तार भूमि विकास एवं गृह स्थान-योजना (योजना-सं0-6) बरेली की धारा-28 हेतु प्रस्ताव व प्राक्कलन ।	IV/(37)/82	परिषद् ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया ।
38- मझोला-भाग-1 भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1 मुरादाबाद हेतु धारा-28 का प्रस्ताव ।	IV/(38)/82	परिषद् द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी । यह निर्णय भी लिया गया कि योजना क्षेत्र में सीवरेज की व्यवस्था तथा जल भराव से उत्पन्न होने वाली समस्या के बारे में अभी से विचार कर उपयुक्त कार्यवाही की जाय ताकि बाद में कोई कठिनाई की स्थिति उत्पन्न न हो ।
39- एक्जीक्यूटिव ट्रेनिज की नियुक्ति के सम्बन्ध में ।	IV/(39)/82	परिषद् की अगली बैठक जो 15-9-82 को होगी में विचार हेतु स्थगित ।
0- भीमताल भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना सं0-1 भीमताल (क्षेत्रफल 4.51 एकड़ अनुमानित लागत रु0 6.361 लाख)।	IV/(40)/82	परिषद् द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति ।
	IV/(41)/82	श्री आर0सी0सक्सेना, अधीक्षण अभियन्ता, (गण-नियन्त्रण) के विरुद्ध देहरादून की इन्दिरा नगर योजना में दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण में अवर स्तर की सामग्री के प्रयोग, राजाजीपुरम योजना, लखनऊ में कठौता बड़की परियोजना के अन्तर्गत 1000 मिनी अल्प आय वर्ग भवनों के घटिया स्तर के निर्माण माल एवेन्यु योजना के अन्तर्गत निर्मित भवनों में पायी गयी अवरताओं के सम्बन्ध में चल रही विभागीय कार्यवाही की जानकारी परिषद् को करायी गयी । परिषद् के समक्ष मालवीय पुस्तकालय योजना, अलीगढ़ में दुई ब्लाक के निर्माण से संबंधित निविदाओं की स्वीकृति करने में श्री सक्सेना द्वारा बरती गयी अनियमितताओं एवं 18वीं शासन का परियोजना राजाजीपुरम आवासीय योजना में 1003 दुर्बल आय वर्ग भवनों के निर्माण, "सेलेक्शन बेसिस" पर कराने तथा राजाजीपुरम योजना के सेक्टर-7 और 10 में 3/79 प्रकार के 1000 मिनी अल्प

——11

1	2	3	4
			आय वर्ग के भवनों को आफर रेट पर निर्माण के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता द्वारा की गयी प्रारम्भिक जाँच के फलस्वरूप जो तथ्य प्रकाश में आये उसकी जानकारी परिषद् को करायी गयी । जिससे यह बात सामने आई कि उन्होंने ने केवल वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के प्राविधानों का घोर उल्लंघन किया अपितु उच्च अधिकारियों की नियमानुसार बिना स्वीकृति प्राप्त किये ऊँची दरों पर कार्य कराकर परिषद् को वित्तीय क्षति भी पहुँचायी । इन सम्पूर्ण मामलो पर सम्यक् रूप से विचार विमर्श के उपरान्त परिषद् ने सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिये :- 1- 18वीं शासन ऋण परियोजना, राजाजीपुरम आवासीय योजना में 1003 दुर्बल आय वर्ग भवनों के निर्माण "सैलेक्शन बेसिस" पर कराने तथा राजाजीपुरम योजना के सेक्टर 7 और 10 में 3/79 प्रकार के 1000 मिनी अल्प आय वर्ग के भवनों को आफर रेट पर निर्माण वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के प्राविधानों का उल्लंघन करके उच्चाधिकारियों की नियमानुसार बिना स्वीकृति प्राप्त किये ऊँची दरों पर कार्य कराकर परिषद् को वित्ती क्षति पहुँचाने के सम्बन्ध में श्री आर0सी0 सक्सेना के विरुद्ध आरोप पत्र देकर विभागीय कार्यवाही की जाय । 2- परिषद् ने सर्वसम्मति से आरोपों की गंभीरता को देखते हुये श्री सक्सेना को जाँच के दौरान तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित कर दिये जाने का निर्णय लिया । परिषद् ने सर्वसम्मति से यह निर्णय भी लिया गया कि उक्त निर्णय के कार्यान्वित करने के लिये आवास आयुक्त महोदय और अध्यक्ष महोदय अग्रेतर कार्यवाही करेंगे। परिषद् ने सर्वसम्मति से यह निर्णय भी लिया कि परिषद् का एक अधीक्षण अभियन्ता निलम्बित किया गया है की आम जानकारी प्रेस नोट द्वारा कराई जाय ।
42-	निर्माण कार्यों इत्यादि की समीक्षा के लिये परिषद् की उप समिति का गठन ।	IV/(42)/82	निर्माण कार्यों इत्यादि की समीक्षा करने के लिये परिषद् के निम्न सदस्यों की एक अनुश्रवण समिति गठित की गयी :- 1- अध्यक्ष, आवास एवं विकास परिषद् — अध्यक्ष 2- सचिव, आवास एवं नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन । — सदस्य 3- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश । — सदस्य 4- आवास आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद् । — सदस्य यह निर्णय भी लिया गया कि उक्त अनुश्रवण समिति की बैठक प्रत्येक माह में एक बार हुआ करेगी ।
4[illegible]	परिषद् की अपनी बैठकों के लिए जो विनियमावली इस समय प्रभावी है में आवश्यक संशोधन करने के लिये अध्यक्ष, आवास एवं विकास परिषद् द्वारा दिये गये प्रस्ताव ।	IV/(43)/82	परिषद् की अगली बैठक जो 15-9-82 को होगी में विचार हेतु स्थगित ।
44-	परिषद् के निर्माण कार्यों की समीक्षा हेतु मानीटरिंग कमेटी की बैठक दिनांक 1-9-1982 को सम्पन्न हुई की आख्या ।	IV /(44)/82	परिषद् की अगली बैठक जो 15-9-1982 को होगी में विचार हेतु स्थगित ।
45-	अध्यक्ष की अनुमति से ।	IV/(45)/82	1- बैठक में परिषद् के समक्ष यह बात लाई गई कि हडको से ऋण लेने के सम्बन्ध में शासन

—12

1	2	3	4
			जो गारण्टी देती है उसके लिये 1% प्रति वर्ष गारण्टी शुल्क माँगा गया है जब कि भूतकाल में ऐसी कोई शुल्क आवास एवं विकास परिषद् से नहीं लिया जाता था। विचार विमर्श के उपरान्त परिषद ने सर्व-सम्मति से यह निर्णय लिया कि शासन को अवगत कराया जाय कि परिषद् इडको ऋण से मुख्यतः दुर्बल आय वर्ग तथा अल्प आय वर्ग के भवनों तथा Site and serve एवं अल्प क्षेत्रफल के भूखण्डों का निर्माण करते जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम में सम्मिलित है और उसका एक अंग है, अतः ऐसे शुल्क से परिषद् को पूर्ववत् के प्रकार छूट प्रदान कर दी जाय अन्यथा परिषद् के भवन महँगे हो जायेंगे क्योंकि इसका भार दुर्बल आय वर्ग तथा अल्प आय वर्ग के लोगों पर डाला जायेगा। इसके लिये विस्तृत तथा स्वतः पूर्ण पत्र शासन को भेज दिया जाय।
			2- परिषद् ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि परिषद के बढ़ते हुये कार्यकलापों को देखते हुये परिषद् के उपयोगार्थ एक फोटो कापी करने वाली मशीन क्रय कर ली जाय।
			3- परिषद् ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि अवशेष रिक्त सम्पत्तियों हेतु आवंटन की जो प्रक्रिया उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद् भूखण्ड तथा भवन पंजीकरण एवं प्रदेशन संबंधी विनियम-1979 के विनियम16 के अन्तर्गत उल्लिखित है उसे तात्कालिक प्रभाव से समाप्त कर दी जाय और जो अवशेष सम्पत्ति हो उसका प्रदेशन प्रतीक्षा-सूची के विद्यमान व्यक्तियों को ही किया जाय। यदि प्रतीक्षा सूची भी समाप्त हो जाय तो अवशेष सम्पत्ति को अगले प्रदेशन जो शीघ्रताशीघ्र हो में सम्मिलित कर दिया जाय। प्रतीक्षा सूची को केवल 6 माह के बजाय अगले प्रदेशन तक प्रभावी कर दी जाये। तदनुसार, सम्बन्धित विनियम में संशोधन की कार्यवाही की जाय।
			4- परिषद् ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि भविष्य में परिषद् की विभिन्न योजनायें चलाने हेतु स्थल चयन समिति की आख्या की जाँच परिषद् द्वारा नव सृजित एक स्क्रीनिंग समिति करेगी जिसमें परिषद के क्षेत्रीय अशासकीय सदस्य महोदय/महोदया तथा आवास आयुक्त महोदय स्वयं रहेंगे। उक्त स्क्रीनिंग समिति प्रस्तुत प्रस्तावों का हर दृष्टिकोण से देख कर सन्तुष्ट हो जायेगी और प्रस्ताव को अनुमोदित करेगी। धारा-28 का प्रस्ताव परिषद् के स समक्ष स्क्रीनिंग समिति द्वारा दिया गया अनुमोदन के बाद ही आयेगा।

बैठक अध्यक्ष महोदय को आभार प्रकट करते हुए समाप्त की गयी।

पुष्टि की गई
[signature]
13/10/82
अध्यक्ष

उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद की चतुर्थ बैठक दिनांक 2-9-82 के क्रम में हुई बैठक दिनांक 15-9-82 का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे:-

(1)	श्री बी०जे०खोदाखजी		अध्यक्ष
(2)	श्रीमती दीपा कौल		सदस्या
(3)	श्री करम सिंह		सदस्य
(4)	श्री राम पाल सिंह		सदस्य
(5)	श्री आदित्य कुमार रस्तोगी	सचिव आवास एवं नगर विकास विभाग।	सदस्य
(6)	श्री जे०बी०दुबे	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य
(7)	श्री त्रिवेणी सहाय	संयुक्त सचिव, वित्त (सचिव, वित्त के प्रतिनिधि)	सदस्य
(8)	श्री आर०एस०माथुर	आवास आयुक्त	सदस्य

यह बैठक परिषद की चौथी बैठक दिनांक 2-9-82 के क्रम में हुई जिसमें अवशेष मदों पर विचार विमर्श के उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

मद संख्या	विषय	संकल्प संख्या	निर्णय
3-	श्रीमती उर्मिला अस्थाना की बयाना धनराशि की वापसी हेतु।	IV /(3)/82	परिषद ने विचार-विमर्श के उपरान्त, यह निर्णय लिया कि प्रार्थी द्वारा जमा की गई धनराशि में से केवल रु० 1000/= (बयाना धनराशि रु० 5000/= का 20%)काट ली जाय और शेष धनराशि वापस कर दी जाय।
4-	देहली रोड योजना हरिद्वार में श्री रामयश सिंह, विधायक को प्रदिष्ट भूखण्ड सं०-406 का भूखण्ड संख्या-386 से परिवर्तन।	IV /(4)/82	परिषद ने सर्वसम्मति से विचार-विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव को अस्वीकृत किया।
5-	श्रीमती निर्मला पाण्डे को भवन प्रदेशन के सम्बन्ध में।	IV/(5)/82	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की और आवास आयुक्त को श्रीमती निर्मला पाण्डे द्वारा उनके प्रार्थना पत्र में उल्लिखित वार्ता का शपथ पत्र देने पर भवन आवंटित करने के लिये अधिकृत किया।
6-	आन्तरिक समारीक्षण अनुभाग का विस्तार।	IV /(6)/82	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इस प्रस्ताव का परीक्षण निम्नलिखित सदस्यों की उप समिति द्वारा कराकर उस के निर्णयों का कार्यान्वयन करने के उपरान्त परिषद को सूचित कर दिया जाय। 1- आवास आयुक्त — अध्यक्ष 2- वित्त सचिव द्वारा मनोनीत परिषद के सदस्य। — सदस्य

क्र०प०उ०

1	2	3	4
	10-आवास परिषद की इन्दिरा नगर विस्तार योजना लखनऊ में समाविष्ट अनुपनगर सहकारी गृह निर्माण समिति की भूमि अर्जन से मुक्त करने के सम्बन्ध में।	IV /(10)/82	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया कि यदि अनुपनगर सहकारी गृह-निर्माण समिति चाहें तो उसे एक स्थान पर विकसित भूमि सामान्य नियमान्तर्गत प्रदिष्ट कर दी जाय।
	13-उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद सहायक अभियन्ता सेवा विनियम-1973 को सहायक अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक)के लिये भी लागू करने के सम्बन्ध में।	IV /(13)/82	परिषद ने इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से सैध्दान्तिक रूप से स्वीकृति प्रदान की। यह भी निर्णय लिया कि परिषद की अगली बैठक में सहायक अभियन्ता (विद्युत यांत्रिक)विनियमावली का आलेख्य परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।
	14-हापुड़-गाजियाबाद मार्ग पर आवासीय योजना सं0-1 पिलखुवा, जिला-गाजियाबाद।	IV/(14)/82	परिषद ने संकल्प संख्या 1/(25)/82 दिनांक 18-2-82 व्दारा गठित उप समिति की संस्तुति दिनांक 16-6-82 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया।
	18-उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद अधीनस्थ संगणक तथा ड्राफ्टसमैन सेवा विनियमावली, 1977 में संशोधन।	IV/(18)/82	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
	19-श्री उमाकान्त को प्रदिष्ट भवन सं0-68 माल एवेन्यू के मूल्यांकन के सम्बन्ध में।	IV /(19)/82	अ-परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि श्री उमाकान्त को माल एवेन्यू में भवन संख्या-68 का प्रदेशन मूल मूल्यांकन जो प्रदेशन पत्र दिनांक 9-10-79 में उल्लिखित है के आधार पर इस शर्त पर कर दिया जाय कि प्रदेशन गृहीता व्दारा परिषद को इस सम्पत्ति पर दिनांक 9-10-79 से निर्धारित ब्याज देय होगा। ब- परिषद व्दारा यह भी निर्णय लिया गया कि जिस अधिकारी ने इस भवन के निर्माण कार्य को पूरा दिखाकर प्रदेशन में रखा उसके सम्बन्ध में उसकी जिम्मेदारी निर्धारित करके समुचित दण्ड देने के उपरान्त जाँच अधिकारी की रिपोर्ट व कृत कार्यवाही से परिषद को अवगत कराया जाय।
	21-आवास परिषद में सीधी भर्ती से नियुक्त किये जाने वाले सहायक लेखाकारों के सम्बन्ध में आवास विकास परिषद लिपिकीय सेवा विनियम-1980 के नियम-14 का शिथिलीकरण।	IV /(21)/82	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
	25-वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन।	IV /(25)/82	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
	26-लखनऊ में स्वीकृत परिकल्पना खण्ड को मेरठ में स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।	IV /(26)/82	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया और आवास आयुक्त को संकल्प संख्या-11/(3)/82 दिनांक 30-3-82 व्दारा स्वीकृत कार्यखण्ड, रामपुर, आगरा कानपुर, वाराणसी तथा गाजियाबाद में स्वविवेकानुसार 3 स्थानों पर विभागीय निर्माण इकाई तथा 2 स्थानों पर कार्य-

1	2	3	3
			खण्ड स्थापित करने के लिये अधिकृत किया तथा अतिरिक्त परिकल्पना खण्ड लखनऊ के बजाय मेरठ में स्थापित करने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की।
27-	श्री बी०एम०एस०विष्ट को परिवर्तन शुल्क से छूट दिये जाने के संबंध में।	IV/(27)/82	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गयी। यह भी निर्णय लिया गया कि श्री विष्ट से परिवर्तन शुल्क की जो धनराशि ली गयी है उसे वापस कर दिया जाय।
28-	विशेष परिस्थितियों में स्व०श्री बी०के०भारतीय, लेखाधिकारी की विधवा तथा श्री के०सी०मिश्र निजी सचिव को भवन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।	IV/(28)/82	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि स्वर्गीय श्री बी०के०भारतीय, लेखाधिकारी की विधवा तथा श्री के०सी०मिश्र, सेवा निवृत्त निजी सचिव को "आउट आफ टर्न" भवन प्रदिष्ट कर दिया जाय किन्तु उन्हें भवन के मूल्य में किसी प्रकार की छूट न दी जाय।
29-	अध्यक्ष, उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद के प्रयोग में लायी जा रही स्टाफ कार के रख-रखाव पर निर्धारित सीमा से अधिक व्यय की स्वीकृति के संबंध में। [illegible]	IV/(29)/82	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि ~~विषय के परीक्षण~~ हेतु निम्नलिखित सदस्यों की एक उप समिति का गठन किया जाय। 1- श्री बी०जे०बोदायजी — अध्यक्ष 2- श्री आर०एस०माथुर, आवास आयुक्त — सदस्य 3- वित्त सचिव द्वारा मनोनीत परिषद के सदस्य।
30-	इलाहाबाद में श्रीमती माजिदा बेगम को भवन प्रदेशन के सम्बन्ध में परिषद की इलाहाबाद स्थित योजना में दुर्बल आय वर्ग के भवन के सम्बन्ध में।	IV/(30)/82	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव पर यह निर्णय लिया कि आवास-आयुक्त जिलाधिकारी से इस मामले का पूर्ण विवरण प्राप्त कर लें और तदुपरान्त मामला परिषद के समक्ष रखा जाय।
32-	परिषद में कार्य प्रभारित कर्मचारियों की सेवाओं के नियमित्तिकरण के संबंध में।	IV/(32)/82	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में जल निगम द्वारा कार्य प्रभारित कर्मचारियों को देय सुविधाओं का अध्ययन कर इस प्रस्ताव को परिषद की अगली बैठक में रखा जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि वित्तीय भार के सम्बन्ध में परिषद को अवगत कराया जाय।
34-	परिषद का रिवाल्विंग फण्ड।	IV/(34)/82	इस सम्बन्ध में श्री आर०सी०बंगल, निदेशक सी०बी०आर०आई जो परिषद के भी सदस्य है, का पत्र सं०-2/19/82 दिनांक 20 अगस्त, 1982 पढ़ा गया उन्होंने पत्र द्वारा यह मत व्यक्त किया कि परिषद की वित्तीय स्थिति में पर्याप्त सुधार हो जायेगा यदि 11.00 करोड़ रुपये का रिवाल्विंग फण्ड उपलब्ध करा दिया जाय। इस सम्बन्ध में उन्होंने यह भी सूचित किया है कि दिनांक 1-7-76 की बैठक में सैद्धान्तिक रूप से यह स्वीकार किया गया था कि परिषद को 6.6 करोड़ रुपया बतौर कैपिटल व 4.4 करोड़ मजूर भूमि

1	2	3	4
			के रूप में उपलब्ध कराया जाय। विचार विमर्श के उपरान्त परिषद ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि कारपोरेट प्लान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रस्ताव का परीक्षण कर लिया जाय और तत्पश्चात् इसे मानीटरिंग कमेटी की बैठक में विचारार्थ रखा जाय।
35-	उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद के अधिकारियों/ कर्मचारियों को भवन निर्णय दिये जाने के संबंध में।	IV/(35)/82	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की।
39-	एक्जीक्यूटिव ट्रेनिज की नियुक्ति के सम्बन्ध में।	IV/(39)/82	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुये निम्नलिखित सदस्यों की चयन समिति गठित करने का निर्णय लिया गया:- 1- आवास आयुक्त — अध्यक्ष 2- श्री जे0पी0दुबे, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक। — सदस्य
41-	दिनांक 2-9-82 की बैठक में संकल्प संख्या चतुर्थ/(41)/82 व्दारा लिये गये निर्णयान्तर्गत श्री आर0सी0सक्सेना, अधीक्षण अभियन्ता जिन्हें निलम्बित किया गया था के विरुद्ध चल रही विभागीय कार्यवाहियों में जाँच अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में।	IV/(41)/82	परिषद ने विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये:- क- श्री आर0सी0सक्सेना (निलम्बित) के विरुद्ध देहरादून की इन्दिरानगर योजना में दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण में अवर स्तर की सामग्री के प्रयोग, राजाजी पुरम् योजना, लखनऊ में छठी इडको परियोजना के अन्तर्गत 1000 मिनि अल्प आय वर्ग के भवनों के घटिया स्तर के निर्माण, माल स्वैच्छ योजनान्तर्गत निर्मित भवनों में पायी गयी अवरताओं के संबंध में चल रही विभागीय कार्यवाही में मुख्य अभियन्ता को जाँच अधिकारी बनाये रखा जाय जो शीघ्र वरीयता के आधार पर यदि उन्होंने उक्त किसी मामले में अपनी आपत्ति प्रस्तुत न की हो तो यथा शीघ्र अपनी उपपति प्रस्तुत करेंगे जिसमें विलम्बतम 31 दिसम्बर, 1982 तक का समय परिषद व्दारा प्रदान किया गया। ख- मालवीय पुस्तकालय योजना, अलीगढ़ में नई ब्लाक के निर्माण से सम्बन्धित निविदाओं की स्वीकृति करने में श्री आर0सी0सक्सेना (निलम्बित) व्दारा बरती गयी अनियमितताओं एवं 18वीं शासन ऋण परियोजना राजाजी पुरम् आवासीय योजना में 1003 दुर्बल आय वर्ग भवनों के निर्माण ''सेलेक्शन बेसिस'' पर कराने तथा राजाजीपुरम योजना के सेक्टर-7 और 10 में 3/79 प्रकार के 1000 मिनि अल्प आय वर्ग के भवनों को आफर रेट पर निर्माण के सम्बन्ध में परिषद ने सर्वसम्मति से उप आवास आयुक्त एवं सचिव को जाँच अधिकारी नियुक्त किया। इस सम्बन्ध में यह भी निर्णय लिया गया कि यथा संभव जाँच 31 दिसम्बर-82 तक पूरी कर ली जाय।

1	2	3	4.
45-	अध्यक्ष की अनुमति से प्राविधिक सम्परीक्षण कोष्ठ की आख्या में पायी गयी अवरताओं के आधार पर श्री सुरेश चन्द्र बंसल, अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्रतिनियुक्ति पर थे, के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चलाये जाने के सम्बन्ध में।	IV/(45)/82	श्री एस0सी0 बंसल, अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, प्रथम वृत्त, उ0प्र0 सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्रतिनियुक्ति पर थे जो अब पैतृक विभाग को वापस कर दिये गये हैं। इनके कार्यकाल में निर्मित इन्दिरा नगर लखनऊ के सेक्टर-3 में एम0ए0/75 प्रकार के 80 मध्यम आय वर्ग के भवनों का प्राविधिक परीक्षण हुआ था प्राविधिक सम्परीक्षण सेल की आख्या में इंगित अवरताओं के आधार पर निर्माण से सम्बन्धित अवर अभियन्ता स्तर से लेकर अधीक्षण अभियन्ता तक के सभी अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरम्भ की गयी थी। श्री एस0सी0 बंसल जो सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत थे, के विरुद्ध भूतपूर्व आवास आयुक्त ने आरोप पत्र गठित कर सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग उ0प्र0 शासन को विभागीय कार्यवाही करने हेतु भेजा था। शासन ने इस पर श्री बंसल के स्पष्टीकरण पर परिषद से यह संस्तुति माँगी है कि इनके स्पष्टीकरण पर विचारोपरान्त इस विभागीय कार्यवाही के चलाये जाने अथवा न चलाये जाने पर शासन को संस्तुति दी जाय। उपरोक्त पर विचार विमर्श के उपरान्त परिषद ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि अध्यक्ष तथा आवास आयुक्त इस मामले पर विचार कर लें तथा इस सम्बन्ध में उनके समक्ष एक सुस्पष्ट तथा विस्तृत टिप्पणी रखी जाय। इस मामले में इनका निर्णय परिषद का निर्णय माना जायेगा।

[signature]

बैठक अध्यक्ष महोदय को आभार प्रकट करते हुए समाप्त की गयी।

पिछली बैठक दिनांक 2/9/82 के मद संख्या 43 जो परिषद की बैठकों के लिए विनियमावली के संशोधन से संबंधित है और मद संख्या 44 [illegible] से संबंधित है और [illegible] दिनांक 1/9/82 को परिषद की [illegible] बैठक [illegible] से संबंधित है वो समयाभाव के कारण से विचारार्थ नहीं लिया जा सका उन्हें [illegible] में परिषद की आगामी बैठक में स्वतः रख दिया जाय

[signature]

पुष्टि की गई

[signature]
13/10/1982
अध्यक्ष